न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 175/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामस्वरुप गोयल, मालिक फर्म, मैसर्स गोयल उद्योग, रीको क्षेत्र, जी–176, सांगानेर–मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री नागर मल पुत्र शिवसहाय गोयल, कार्यकर्ता–फर्म गोयल उद्योग।
3. मैसर्स गोयल उद्योग रीको क्षेत्र जी–176, सांगानेर, जयपुर।
4. पिंकसिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, हैड ऑफिस सूरजपोल मण्डी रोड, मालिक ट्रक नम्बर–आरआर जी–636।
5. श्री राम पुत्र रामेश्वर लाल जाट निवासी पनवाला पंचायत खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ट्रक नम्बर आरआरजी–636 का ड्राइवर, मार्फत पिंकसिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सूरजपोल मण्डी रोड, जयपुर।
6. ओम प्रकाश गुप्ता उचित मूल्य दुकानदार पालडी तहसील विराट नगर, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री जे.पी. गौड अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।
   द) श्री आशुसिंह शेखावत अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 29.12.2000 को मुखबिर की सूचना पर मैसर्स गोयल उद्योग, रीको क्षेत्र सांगानेर, मानसरोवर पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर बीपीएल नियन्त्रित गेंहूं 100.60 क्विंटल, गेंहूं आटा 225 क्विंटल, खाली कट्टे तथा ट्रक नम्बर आरआरजी–6361 जब्त किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा बीपीएल नियन्त्रित गेंहूं अप्रार्थी संख्या 6 उचित मूल्य दुकानदार से खरीद कर गेंहूं आटा बनाने के लिए के लिए कार्य में लेकर बीपीएल गेंहूं का अवैध कारोबार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर अनुज्ञापत्र नहीं रखा गया तथा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, तलपट्टी, बयान, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रकरण में दिनांक 06.01.2003 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने निर्णय पारित कर जब्त माल को राजसात करने का आदेश दिया। तत्पश्चात दिनांक 08.09.2008 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–3, जयपुर ने निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2003 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दोनों पक्षों को सुनकर जांच की जाकर विधि अनुसार आदेश पारित करने का आदेश दिया। पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 10.02.2009 को अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अभिभाषक श्री आशुसिंह शेखावत, दिनांक 26.08.2009 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री जे.पी.गौड ने एवं अप्रार्थी संख्या 1,2 3 की और से अभिभाषक श्री के.डी.शर्मा ने उपस्थिती दी। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक जवाब/बहस में नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण में से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब एवं माननीय उच्चतर न्यायालय के निर्णय का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज तक जब्तशुदा सामग्री के सम्बन्ध में कोई वैध साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। अप्रार्थीगण को माननीय उच्चतर न्यायालय के निर्णय के अनुसार सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिये जाने पर भी अपना पक्ष रखने में असफल रहने अनुपस्थित रहने से यह बात पुष्ट होती है कि मौके पर वाहन चालक द्वारा दिया गया बयान एवं मौके पर प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र जिसमें कि नियन्त्रित गेहूं उत्पादक के लिये जारी किया हुआ था मौके पर RTAL 1980 का अनुज्ञा पत्र तथा स्टाक रजिस्टर नहीं पाया गया ना ही राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र भी नहीं पाया गया। दिनांक 29.12.2000 को जब्त बीपीएल नियन्त्रित गेंहू का आटा बनाकर अवैध रुप से बेचा जा रहा था। इस तथ्य को सही पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त सामग्री जिसमें बीपीएल नियन्त्रित गेंहूं 100.60 क्विंटल, गेंहूं आटा 225 क्विंटल, खाली कट्टे तथा ट्रक नम्बर आरआरजी–6361 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का नियमानुसार अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर